HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED
(A State Government Undertaking)
Registered Office: Vidyut Bhawan, HPSEBL, Shimla-171004 (H.P.)
CIN: U40109HP2009SGC031255
Phone No.: 0177-2803600, 2801675 (Office), 2658984 (Fax)
Website: www.hpseb.in, e-mail: cmd@hpsebl.in & directorfa@hpseb.in

No. HPSEBL/ESDS/DB-94/2023-24- 3379 Date: - 11/12/23

सेवा में

प्रभागीय वन अधिकारी,
वन प्रभाग, शिमला ग्रामीण,
मिस्ट चैम्बर, खलीनी, जिला शिमला.

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Dist. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: -उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय वस्तु एवं संदर्भांकित पत्र का सन्दर्भ लें, जिसके अनुसार वांछित अनुपालना रिपोर्ट निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
2. (A) वे शर्तें ,जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सोंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-		
i	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाएगी।	शर्त मंज़ूर है
ii	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C)No.202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी|	शर्त मंज़ूर है
iii	WP(C) No. 202/1995,IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC(vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित भूमि 1.1333 हेक्टेयर की नैट प्रेजेंट वैल्यू जमा करवाई जाए|	शर्त मंज़ूर है
iv	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी|	शर्त मंज़ूर है
v	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी|	शर्त मंज़ूर है
vi	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है की प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा करवाए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किये जाते हैं । अन्य माध्यम से जमा की गयी राशि को stage-1 clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|	शर्त मंज़ूर है/ उपयुक्त चालान की प्रतिलिपि संलग्न है
vii	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी की संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए stage-1 पहले ही स्वीकृत किआ जा चुका है, Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है | इस आशय का एक वचन पत्र कि **"इस मंडल के पास stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है"** प्रस्तुत किया जाए| इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा ।	शर्त मंज़ूर है / प्रतिलिपि संलग्न है

viii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा		शर्त मंज़ूर

(B) वे शर्तें ,जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी वन भूमि सोंपने के बाद फिल्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है,परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन stage -2 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i	वन भूमि की विधिक परिस्तिथि बदली नहीं जाएगी		शर्त मंज़ूर है
ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गयी संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुक्सान नहीं पहुँचाया जाएगा| यदि muck dumping site प्रस्ताव में सम्मिलित है,तो वहा का कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा|	शर्त मंज़ूर है
iii	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 2.2666 हे० Survey No./Compartment No-UPF-13, Ogli Suma(Forest Range Bhajji) Tehsil and District Shimla,पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा | यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |	शर्त मंज़ूर है
iv	प्रस्तावित CA Land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज तथा IFA 1927 के अंतर्गत अधिसूचित , अन्यथा Proposed PF की प्रति प्रस्तुत करें। अन्यथा, CA Land को विधिवत स्वीकृति से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित किया जाए एवं नियमानुसार IFA 1927 के अंतर्गत PF अधिसूचित किया जाए और उससे संबंधित दस्तावेज पेश किये जाए।	शर्त मंज़ूर है
v	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |	शर्त मंज़ूर है
vi	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी |	शर्त मंज़ूर है
vii	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	शर्त मंज़ूर है
viii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	शर्त मंज़ूर है
ix	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |	शर्त मंज़ूर है
x	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |	शर्त मंज़ूर है
xi	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा|	शर्त मंज़ूर है
xii	प्रस्तावित संचंरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार " की अधिकतम चौडाई वन भूमि पर 18 मीटर होगी |	शर्त मंज़ूर है
xiii	कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 3.4 मीटर होना चाहिए| कंडक्टरो के झुकाव तथा झोल कोध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासीबनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति के किया जायेगा ।	शर्त मंज़ूर है
xiv	प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के आलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |	शर्त मंज़ूर है

xv	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य विभाग से विचार –विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधे,मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण,सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध कराएगी।	शर्त मंज़ूर है
xvi	पर्योक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध कराई जायेगी।	शर्त मंज़ूर है
xvii	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मंज़ूर है
xviii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी,ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुक्सान तथा दबाव से बचाया जा सके।	शर्त मंज़ूर है
xix	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	शर्त मंज़ूर है
x	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	शर्त मंज़ूर है
xxi	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986,के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	शर्त मंज़ूर है
xxii	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अन्यत्र मलवा नहीं फेका जायेगा।	शर्त मंज़ूर है
xxiii	इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी,इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि ,जो भी कम हो ,के सह-समाप्ति होगी।	शर्त मंज़ूर है
xxiv	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती हैं।	शर्त मंज़ूर है
xxv	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार की ज़िम्मेवारी होगी।	शर्त मंज़ूर ह
xxvi	इनमें से किसी भी शर्त का उलंघन वन संरक्षण अधिनियम ,1980 का उलंघन होगा तथा पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act 1980 and Forest Conversation Rules, 2003(Guidelines & Clarifications).2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।	शर्त मंज़ूर है
3	उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त,वन संरक्षण अधिनियम,1980 की धारा-2 के अधीन अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार की अंतिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा।	शर्त मंज़ूर है

अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:-उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
A (i)	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाएगी	शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:-उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(ii)	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C)No.202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी|	शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla [illegible] Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:-उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(iii)	WP(C) No. 202/1995,IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC(vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित भूमि 1.1333 हेक्टेयर की नैट प्रेजेंट वैल्यू जमा करवाई जाए|	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:-उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(iv)	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी|	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:-उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(v)	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी|	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:- उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(vi)	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है की प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा करवाए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किये जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गयी राशि को stage-1 clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|	शर्त मंज़ूर है/ उपयुक्त चालान की प्रतिलिपि संलग्न है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

RT No.- 30950202312052904(31)   RT No.- 30950202312052904(31)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 30-11-2023

Client Code.	CAM5070
Location.	HIMACHAL PRADESH
Remitter Name.	HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LTD
PIF/Application No.	7346229362
MoEF/SG File No.	FC/HPB/12/75/2022
Address.	Himachal Pradesh Electricity Board Shimla Shimla
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	sr.xenes.totu@gmail.com 9418090947 177-2837161
Amount(in Rs)	1850513/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Eighteen Lakh Fifty Thousand Five Hundred and Thirteen Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Sr. Executive Engineer
Elect. System Division
HPSEB Ltd. Totu Shimla-11

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 30-11-2023

Client Code.	CAM5070
Location.	HIMACHAL PRADESH
Remitter Name.	HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LTD
PIF/Application No.	7346229362
MoEF/SG File No.	FC/HPB/12/75/2022
Address.	Himachal Pradesh Electricity Board ShimlaShimla
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	sr.xenes.totu@gmail.com 9418090947 177-2837161
Amount(in Rs)	1850513/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Eighteen Lakh Fifty Thousand Five Hundred and Thirteen Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Sr. Executive Engineer
Elect. System Division
HPSEB Ltd. Totu Shimla-11

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance | Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto	06-Dec-2023		**Remmiter Copy**
HIMGRN	**B23K124625**	Date	30-11-2023 12:28:19PM

Department Forest

BarCode

Period 01-10-2023 To 31-10-2023

DDO SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA

Head	**₹Amount**
0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTME	8573721

Total/Net Amount **8573721**

In words Eighty Five Lakh Seventy Three Thousand Seven Hundred Twenty One

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no. PTLS14450C

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FORESTATION -Cheque Number 835917 Dated:-21/11/2023

Remitter Name:- Sr Executive Engineer

Address:- Division HPSEBL Totu Shimla-11 Mob: 7876099409

Sr. Executive Engineer
Elect. System Division
HPSEB Ltd. Totu Shimla-

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No | **HIMGRN** B23K124625

Amount ₹ **8573721**

Bank MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA

Cheque-DD-No.

BANK OF INDIA 0718
BRANCH, KALIBARI, SHIMLA
: 0000718
DEC 2023
8573721
09
Amount
GOVT. TRANSFER

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:- उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
A (vii)	इस मंडल के पास stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:-उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(viii)	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा		शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:- उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
B (i)	वन भूमि की विधिक परिस्तिथि बदली नहीं जाएगी।	शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

C/s

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गयी संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुक्सान नहीं पहुँचाया जाएगा| यदि muck dumping site प्रस्ताव में सम्मिलित है,तो वहा का कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा|	शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

D[illegible] Forest Officer
S[illegible] Division

C/s

UNDERTAKING

विषय:-Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:-उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
iii	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 2.2666 हे० Survey No./Compartment No-UPF-13,Ogli Suma(Forest Range Bhajji) Tehsil and District Shimla,पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा	यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा		शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ:- उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
iv	प्रस्तावित CA Land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज तथा IFA 1927 के अंतर्गत अधिसूचित , अन्यथा Proposed PF की प्रति प्रस्तुत करें। अन्यथा, CA Land को विधिवत स्वीकृति से पहले गज्य व के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित किया जाए एवं नियमानुसार IFA 1927 के अंतर्गत PF अधिसूचित किया जाए और उससे संबंधित दस्तावेज पेश किये जाए।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

C/s

UNDERTAKING

विषय :– Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ :– उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
v	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय: –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
vi	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी		शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : – उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
vii	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय :– Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ :– उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
viii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : – उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
ix	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा		शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
x	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा		शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय: –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xi	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा|	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xii	प्रस्तावित संचंरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार " की अधिकतम चौडाई वन भूमि पर 18 मीटर होगी |	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

C/s

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : – उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xiii	कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 3.4 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरो के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति के किया जायेगा।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय :- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ :- उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xiv	प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के आलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी		शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

C/S

UNDERTAKING

विषय: –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xv	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य विभाग से विचार –विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधे,मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण,सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध कराएगी		शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

C/s

UNDERTAKING

विषय: –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xvi	पर्योक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध कराई जायेगी।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय: –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xvii	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xviii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी,ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुक्सान तथा दबाव से बचाया जा सके।	शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय :- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ :- उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xix	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी		शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

C/s

UNDERTAKING

विषय : –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xx	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएगी		शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : – उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xxi	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986,के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय: –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ: –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xxii	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अन्यत्र मलवा नहीं फेका जायेगा		शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xxiii	इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी,इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी । इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि ,जो भी कम हो ,के सह-समाप्ति होगी ।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : –Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : –उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xxiv	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण,सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती हैं।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : – उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xxv	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार की ज़िम्मेवारी होगी।	शर्त मंजूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ : – उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
xxvi	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम ,1980 का उलंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation)Act,1980 and Forest Conversation Rules, 2003(Guidelines & Clarifications) 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी ।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय :- Diversion of 1.1333 Hectare of forest land in favour of HPSEBL for the Construction of 220/66KV Sub-Station Nadukhar & 220KV LILO Tower from LILO of 220 KV Bhaba-Kunihar Line Tehsil Sunni Distt. Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Online Proposal No.- FP/HP/Substation/46229/2020).

सन्दर्भ :- उप-वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हि०प्र० के पत्र संख्या I/55058/2023 (FC/HPB/12/75/2022) dated: - 10.10.2023.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
3	उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम,1980 की धारा-2 के अधीन अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार की अंतिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा।	शर्त मंज़ूर है

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता
विद्युत् प्रणाली मंडल
हि०प्र०स्टे०ई०बो०लि०, टूटू, शिमला

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA